Campus : Near Nandan Van, Veer Savarkar Nagar,

Raipur-492 099 (C.G.) India Tel: +91 771 6666 666 Affiliation No. - 3330200



## PROFORMA FOR THE SAFETY OF SCHOOL BUILDING Cord - 15198 PART-1

(To be filled by the Head of School/Institute)

1 Name of the Cabast	BUNGTA INTERNATIONAL CONTRA	
1. Name of the School	RUNGTA INTERNATIONAL SCHOOL	
2. Location	Atari, Veer Savarkar Nagar, Raipur	
3. Plot Area	10,545 square meters	
4. Plinth Area	22,000 square feet	
5. Number of Storey's	3 (Three)	
6. Year of Construction of Building	2013	
7. If the building has been constructed under the supervision		
Of the qualified Engineer, the following details may be given		
a) Name of the Engineer with qualification		
b) Address of Engineer		
c) Set of Structural drawings used in the construction, if available		
d) Name & address of Architect with qualification		
8. Whether the building has been constructed for the purpose		
a) School		YES
b) Residential Purpose and converted for u	se as a School	NO
9. Materials used for roofs		
a) R.C.C. Slabs/R.B.C. Slabs		YES
b) R.S. Joist & Battons		YES
c) Wooden joists & Battons		NO
10. Materials used for walls		
a) Mud Mortar		NO
b) Cement Mortar		YES
c) Lime Mortar		NO
11. Flooring		
a) Conglomerate		YES
b) Terrazo		NO
c) Brick Paving.		YES
12. A detailed drawing indicating dimensions of the rooms along with size and location of doors and windows (Attached)		

Signature with Stamp of the seal of the School /Institution

RUNGTA INTERNATIONAL SCHOOL

City office: Sheela Residen AIPUfel: +91 771 654 4444 Opp. CM House, Civil Lines, Raipur-492 001 (C.G.) India

E-mail: info@rungtainternational.ac.in Web: www.rungtainternational.ac.in







### YKJ & ASSOCIATES

B.E. CIVIL, M.TECH. (STRUCTURES) NEW RAJENDRA NAGAR, RAIPUR

EMAIL: yesh2210@gmail.com,

Contact: 9425202200

GST NO: 22ABNPO1436A3Z4

GEN 102/2024/85

### STABILITY CERTIFICATE

The building for Rungta International School, Atari, Veer Savarkar Nagar, Raipur has been inspected and is designed for Ground + 2 Upper Floor. The Structure of school buildings of Rungta International School, Atari, Veer Savarkar Nagar, Raipur was constructed as per structural drawings with all safety norms of structure.

This is to certify that building block of Rungta International School, Atari, Veer Savarkar Nagar, Raipur the structure is stable and deemed safe for educational purposes.

This certificate is valid for 3 years.

Date of Issue: 07/02/2024

YESH KUMAR JAIN YESH KUMAR JAIN LE Civill, M. Tech. (Structure) Lic. No. : 525/2009 Hew Rajendra Nagar, RAIPUR

PRINCIPAL
RUNGTA INTERNATIONAL SCHOOL



# कार्यालय - कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स), विधानसभा संभाग रायपुर (छ.ग.)

प्रथम तल पुराना प्रमुख अभिवार कार्यालय सिरपुर भवन परिसर आल इंडिया रेडियों के पीछ, सिविल लाईन रायपुर दूरभाष : 0771-242669 ई-मन eer laipuran en eerson technical preditional con-/22/ / 805-जाप क / 2023-24 रायपुर दिनाफ 2.7 /02/2023

प्रति

पाचार्य

रेगटा इंटरनेशनत स्कल ठीर सावरकर नगर गाई 1 रायपुर (छ.न) पिल 492099

Request for Building Safety Certificate

सदर्भ - आपका पत्र विनाम 20.01 2023

----

उपलेका विष्यातमंत आपकं सदर्भित एव द्वारा स्कूल भवन का सुरक्षा प्रभाण पत्र (Boilding Salety Centilicate: की माग की नई है।

रदन सुरका प्रभाग पत्र हेत् जारी निर्धारित फाम में आपके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार अनुविनारीय अधिकारी लामिवि विधानसभा उपसभाग रायपुर द्वारा विभाग 3101 2023 को निरीदण कर दिवं राद अनुशसानुसार महन का तुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है । अतः उवत नवन रोशांगिक वर्ष 2023-24 हेत् उपम्वत है।

सहपत्र - शुन्य ।

लो नि वि विद्यानसभा सभाग Acc) रायपुर (छ ग र यपुर दिनाक 27/02/2023

अतिसिमाचे ।

7-Jr-2023-24

अनुविसारीय अधिकारी लागिये विधानसमा उपसभाग रायपु की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

महाप्र - श्राध ।

लो नि वि विवानसभा समाग रावप्र (छ ग)



# कार्यालय नगर पालिक निगम ,रायपुर छ.ग.

## जोन क्रमांक- 8, भवन निर्माण अनुज्ञा

Printed on: 10/06/2023

प्रकरण पंजीयन क्रमांक -[37580] [RAJA-RMC-2023-0221] दिनांक - [18/05/2023], क्रमांक 126989 दिनांक - 07/06/2023

यह भवन अनुज्ञा - [RUNGTA EDUCATIONAL CAMPUS (MANAGED BY G.D. RUNGTA FOUNDATION, DURG) ,VILLAGE- ATARI , RAIPUR (C.G.)] स्तिथ [ प्लाट नं. ----- [खसरा नं. 52/5 and others]] सलग्न मानचित्र दर्शाये गए अनुसार में निर्माण कार्य करने के संबंध में प्रदान की जाती है |

#### निर्माण कार्य की विशिष्टीया:-

- 1. आवेदन के साथ प्रस्तुत मानचित्र पर, मानचित्र के पृष्ठ पर एवं इस ज्ञापन में अंकित शर्तों के अनुसार ।
- 2. यह भवन अनुज्ञा निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन मंजूर की जाती है |
- (a) यह निर्माण अनुज्ञा दिनांक [ 6/06/2025 ] तक प्रभावशील रहेगी |
- (b) यदि आवश्कयता हो तो उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक [6/06/2025] के पूर्व प्रस्तुत करें । समयाविध के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर अनुज्ञा व्यपगत मानी जायेगी।
- (c) इस भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क (नया)(109615) मात्र नगर पालिक निगम खजाने में रसीद क्रमांक [68632] दिनाक [15/05/2023] व्दारा सम्यक रूप से जमा करा दी गई है |

प्रस्तृत किये गये मानचित्र के अनुसार तथा नगर निवेशक जोन क्र. 8 नगर पालिक निगम रायपुर के आदेश दिनांक- 22/05/2023 के अनुसार उपकर (श्रम कर) (601092), सड़क बाधा शुल्क (189327), भवन अनुज्ञा शुल्क (46085) र. क्र. [69159] दिनांक [07/06/2023] के व्दारा जमा पश्चात् निम्नलिखित शर्तो पर भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है |

- 3. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निगम को सुचना दे ||
- 4. नर्माण कार्य का निम्न चरणों पर निरिक्षण कराये |
- (अ) प्लिथ लेबल पर (ब) लिंटल लेबल पर (स) प्रत्येक तल के पूर्ण होने पर
- 5. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र निगम से प्राप्त करे, प्रमाण पत्र प्राप्ति पूर्व भवन का उपयोग ना करे।
- 6. स्वय के भूखंड के बाहर छज्जा एवं बालकनी प्रोजेक्शन न निकाले |
- 7. गंदा पानी निकास व्यवस्था म्युनिसपल नाली तक स्वयं के खर्च से करना होगा |
- 8. भूखंड रेखा सड़क के मध्य सामने- [9] मी. छोड़कर होगी |
- 9. सेट बैक्स मानिचत्र अनुसार है |
- 10. कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा तल प्रतेक पर SCHOOL BUILDING[ GROUND FLOOR 1760 Educational Institute, FIRST FLOOR 1722 Educational Institute, SECOND FLOOR 2102 Educational Institute] वर्गमीटर में भवन निर्माण से अधिक ना हो, भवन उचाई [11.43] मी. से अधिक ना हो |
- 11. फर्शी शेत्र [1.5] गुना से अधिक ना हो |
- 12. अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंधन होने, किसी असत्य जानकारी पाये जान,े भूमि स्वामित्व विवाद की स्थित में यह अनुज्ञा स्थिगत की जा सके गी, जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 13. छ.ग.भूमि विकास निगम 1994 के नियम 64 के अनुसार 100 वर्गमीटर के क्षेत्र पर 01 वृक्ष की दर से वृक्षारोपण किया जायेगा ।
- 14. नर्माण स्थल पर निर्णामाधीन भवन बाबत् स्वीकृत मानिचत्र एवं अनुज्ञा की प्रति रखना अनिवार्य है।

15. सीवर लाईन होने की स्थिति में इससे कनेक्सन लेना अनिवार्य होगा।

16. उक्त निर्माण आवासीय प्रयोजनार्थ होगा।

17. 03 वर्ष की अवधि में रेन हारवेस्टिंग की व्यवस्था छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 के अनुसार सुनिश्चित करना होगा। अपालन की स्थिति में सुरक्षा निधि नगर निगम में समाहित की जावेगी।

18. प्रस्तावित सड़क चैड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेबल पर रखे इसमें कोई चबूतरा निर्माण न करे।

19. सेप्टिक टेंक के आउटलेट में जाली लगाना अनिवार्य होगा |

20. भवन स्वामी द्वारा पर्यवेक्षक/इंजिनियर /वास्तुविद को भवन निर्माण के दौरान हटा दिये जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव नगर निवेशक के आदेश दिनांक 26.10.09 के अनुसार प्रतिसंहत हो जावेगी |

21. निर्माण कार्यो के दौरान निर्माणाधीन क्षेत्र के चारो ओर अस्थायी घेरे का निर्माण, मटेरियल लोडिंग-अनलोडिंग एवं पुराने भवनों को तोड़ने दौरान उड़ने वाली धुल पर नियंत्रण, निर्माण गतिविधियो से उत्पन्न मलबे का सुव्यवस्थित अपवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे |

22. भवन निर्माण से पूर्व निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए न्यूनतम सुविधाए जैसे:- पीने का पानी, आश्रय, शौचालय आदि का प्रबंध करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करे |

नगर निवेशक नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर (संलग्न प्रति/ मानचित्र)

2.राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ|

नगर निवेशक नगर पालिक निगम , रायपुर

नियम और शर्ते:-यह एक शैक्षिक संस्थान प्रस्ताव है

Note: Water Recycling Provision.

Its computer generated copy ,so need not to get signed and for verification of this certificate ,please log on to - bpms.sudacg.in